न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 411–दो/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–2–2002 पारित व्दारा – आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण क्रमांक 21 अ 70/2001–02 अपील

1– रामदास पुत्र स्व. गणेश लुहार
2– ओमप्रकाश पुत्र गनेश लुहार
निवासी ग्राम कपासी तहसील पलेरा
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश

विरूद्ध

–––––आवेदकगण

1– रामा पुत्र गनेश लुहार
2– गुपाल पुत्र गनेश लुहार
ग्राम कपासी तहसील पलेरा
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश

–––अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री ए.के.अग्रवाल)

आ दे श

(आज दिनांक 5 –11 –2015 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 21 अ 70/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 19–2–2002 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक–1 ने तहसीलदार पलेरा को म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन देकर बताया कि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे नंबर 18/1 रकबा 1.214 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया

है) का दिनांक 12-10-2000 को सीमांकन कराया गया, जिसमें उसकी भूमि के रकबा 0.300 है. पर रामदास का, 0.202 है. पर ओमप्रकाश का कब्जा , 0.101 है. भूमि पर गुपाल का बेजा कब्जा पाया गया है इसलिये कब्जा वापिस दिलाया जावे। तहसीलदार पलेरा ने प्रकरण क्रमांक 01 अ 70/ 2000-2001 दर्ज किया तथा पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 22-2-2001 पारित किया तथा आवेदक रामा को वादग्रस्त भूमि का कब्जा वापिस किये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी जतारा के समक्ष अपील क्रमांक 102/2000-2001 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 19 फरवरी 2002 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील क्रमांक 21/अ-70/2001-02 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 19-2-2002 से अपील अस्वीकार हुई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु यह है कि अनावेदक क्रमांक-1 की भूमि सर्वे नंबर 18/1 रकबा 1.214 हैक्टर का दिनांक 12-10-2000 को सीमांकन हुआ है तथा सीमांकन के दौरान रकबा 0.300 है. पर रामदास का, 0.202 है. पर ओमप्रकाश का कब्जा तथा 0.101 है. भूमि पर गुपाल का बेजा कब्जा पाया गया है। सीमांकन आदेश के विरूद्ध किसी भी सक्षम न्यायालय में

निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके कारण सीमांकन आदेश अंतिम हो चुका है। स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक-1 की भूमि सर्वे नंबर 18/1 रकबा 1.214 हैक्टर के रकबा 0.300 है. पर रामदास का, 0.202 है. पर ओमप्रकाश का कब्जा तथा 0.101 है. भूमि पर गुपाल का बेजा कब्जा है, जिसे हटाने के लिये तहसीलदार ने विधिवत् कार्यवाही कर एंव हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 22-2-2001 पारित किया है एंव कब्जेदारों को अनावेदक क्र-1 को भूमि सौंपने के आदेश दिये हैं जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी जतारा ने अपील क्रमांक 102/2000-2001 में पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2002 से एंव आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने अपील क्रमांक 21/अ-70/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 19-2-2002 से तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष भी समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नजर नहीं आती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा अपील क्रमांक 21/अ-70/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 19-2-2002 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर